# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 02/2021

उनवान

1. सुरेश पुत्र भैरूदास, जाति ब्राहम्ण, निवारीयान् ग्राम धोवलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—/अपीलान्ट

**बनाम**

1. मदनलाल पुत्र रामरतन
2. पुष्पा देवी पत्नी मदनलाल
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम किरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. कैलाश चन्द पुत्र भैरूदास
4. बृजकिशोर पुत्र भैरूदास
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीयान् ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. ग्राम पंचायत धोबलाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धोबलाई, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स—

**अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट विरूद्ध ग्राम पंचायत धोबलाई द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1929 दिनांक 20.11.20202 ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं जिला जयपुर।**

निर्णय दिनांक 06.12.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित आराजी खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 311/1825 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392/1839 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.41 हैक्टेयर व खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 868 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खाता संख्या 208 के खसरा नम्बर 315 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खाता संख्या 420 के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खाता संख्या 458 के खसरा नम्बर 873 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खाता संख्या 554 के खसरा नम्बर 393/1704 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

उक्त भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री भैरूदास पुत्र हणमान दास के नाम थी। जिनकी मृत्यु निर्वसियती दिनांक 14.10.2004 को हो गई तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जो कि भैरूदास का पुत्र था वह बाल्यावस्था में ही अपने नाना रामरतन शर्मा पुत्र लादूराम जाति ब्राहम्ण, निवासी किरतसिंह का बास के यहां गोद चला गया था तथा वहा उसने समस्त दस्तावेजो में अपना नाम मदनलाल पुत्र रामरतन दर्ज करवा लिया था तथा वही पर बचपन से निवास कर रहा था तथा वहीं पर उसकी शादी हुई परन्तु स्व० भैरूदास की मृत्यु दिनांक 14.10.2004 पर उसका फौती नामान्तकरण संख्या 352 दर्ज किया गया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] ने मिलकर उसका भी नाम दर्ज कर दिया गया, जिससे वह विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गलत दर्ज करवा लिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि में कोई कब्जा काश्त नही था, ना ही वह ग्राम धोबलाई में निवास करता था राजस्व रिकार्ड में अपने नाम आई अवैध इन्द्राज के आधार पर वर्तमान में भूमियों की बाजारू कीमते बढ जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की नियत में खोट आ गया तथा उसने दिनांक 9.6.2020 को एक नुमाईशी बक्शीशनामा अपनी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में तस्दीक करवा दिया, जिसकी जानकारी होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:55:32 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा तहसीलदार चौमूं को दिनांक 22.9.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर उक्त नामांन्तकरण सुनकर निर्णय करने का निवेदन किया था उस पर तहसीलदार चौमूं ने अपने पत्र कमांक भू.अ./20/3313 दिनांक 22.9.2020 को उक्त तहसीलदार गोविन्दगढ़ को मूल ही भेजकर अंकित तथ्यों की जॉच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त पत्र तहसीलदार गोविन्दगढ यहाँ कमांक 1153 दिनांक 22.9.2020 को दर्ज करते हुये अपीलान्टस् को यह आश्वासन दिया गया कि उक्त नामान्तकरण 135(2) में दर्ज कर सुनकर ही निर्णित किया जावेगा। जबकि उक्त नामान्तकरण दिनांक 20.11.2020 को अधिनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर बाला–बाला तस्दीक करवा लिया गया, जिस कारण अपील निम्न कारणो से प्रस्तुत हैं:–

1. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने तहसीलदार चौमूं के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत रूप से अपने नाम खुली खातेदारी का दुरूपयोग कर उक्त नुमाईशी एवं दिखावटी बक्शीशनामा अपनी पत्नी के नाम तस्दीक करवा दिया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समस्त दस्तावेजो में उसके पिता स्व0 भैरूदास जी के स्थान दत्तक पिता रामरतन का नाम दर्ज है तथा उसका ग्राम धोबलाई में रहवास नही है और ना ही कब्जा काश्त है उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर खोला गया नामान्तकरण निरस्तनीय हैं।
2. उक्त नामान्तकरण विवादित था तथा विवादित नामान्तकरण खोलने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नही था परन्तु क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त नामान्तकरण खोला गया है जो निरस्तनीय हैं।
3. अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण के सम्बन्ध में सुनवाई के अधिकार की मांग की गई तथा प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के अनुसार भी अपीलान्टस् को सुना जाना चाहिये था परन्तु बिना सुने खोला गया उक्त नामान्तकरण निरस्तनीय हैं।
4. उक्त नामान्तकरण को 135(2) एल.आर.एक्ट में दर्ज कर दोनो पक्षो को सुनकर तहसीलदार चौमूं द्वारा तस्दीक किया जाना चाहिये था परन्तु उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खोला गया है जो निरस्तनीय हैं।
5. उक्त नामान्तकरण खोलते समय कब्जे के सम्बन्ध में कोई जॉच नही की गई इस कारण भी नामान्तकरण निरस्तनीय हैं।
6. उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 5–1–2021 को पटवारी हल्का से नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर हुई, जिसके विरूद्ध अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत हैं।

अतः अपील अपीलान्टस् प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1929 दिनांक 20.11.2020 निरस्त फरमाया जावें।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:55:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी [illegible] की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभिमत कॉपी कार्य [illegible] में पेश हुई। अपीलान्ट्स स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] 4 स्वयं उपस्थित है। शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता अपिलान्ट द्वारा दृष्टांत 2009(2)RRT 1225, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER SHRI PAWAN CHANDRA: MEMBER, Surajkaran vs. Chhitar and ors. Decided on 18th June 2009 पेश किया। उपस्थित उभयपक्षकारान की बहस सूनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। हस्तगत अपील में न्यायालय का यह अभिमत है कि अपील मियाद अन्तर्गत है

व यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण के समय अपीलांट ने किसी प्रकार की लिखित सहमति नही दी थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1929 दिनांक 20.11.2020 निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1929 दिनांक 20.11.2020 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आश्य का अंकन जमाबंदी मे हो। नामान्तकरण संख्या 1929 दिनांक 20.11.2020 रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों को विधि द्ववारा स्थापित प्रकिया अपनाते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का अपील अवधि व्यतित होने के पश्चात 2 माह में निरस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:55:32 IST
Reason: SelfAttested